उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-332/2022/आई/178414/41-1001/45/2019
लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में निहित व्यवस्था के तहत पर्यटन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-आई/115860/41-1001/45/2019, दिनांक 23.11.2021 के माध्यम से पर्यटन विभाग के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक पदधारकों की सम्मिलित अनंतिम ज्येष्ठता सूची महानिदेशक, पर्यटन के माध्यम से सम्बन्धित कार्मिकों के मध्य प्रसारित कर सम्बन्धित कार्मिकों से आपत्तियां/प्रत्यावेदन मांगा गया, ताकि किसी पदधारक को कोई आपत्ति हो तो उसका निराकरण कराया जा सके।

2- इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, पर्यटन के पत्र सं0-6119/2-8(1)/स्थायीकरण/का0/2014, दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से डा0 कल्याण सिंह, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मुख्यालय की आपत्ति दिनांक 09.12.2021, श्री रवीन्द्र कुमार, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ़ मण्डल की आपत्ति दिनांक 16.12.2021 तथा श्रीमती कीर्ति, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, झांसी का आपत्ति दिनांक 16.12.2021 उपलब्ध करायी गयी।

आपत्ति संख्या-01

डा0 कल्याण सिंह, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि उक्त ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-10 पर श्री कल्याण सिंह तथा सूची के क्रमांक-11 पर श्री ब्रजपाल सिंह का नाम अंकित है। इस प्रकार श्री ब्रजपाल सिंह, श्री कल्याण सिंह से कनिष्ठ अधिकारी हैं, किन्तु श्री ब्रजपाल सिंह का वेतनमान श्री कल्याण सिंह से अधिक है। श्री कल्याण सिंह द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण कराने का अनुरोध किया गया।

निराकरण

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में निहित व्यवस्था के तहत कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्गत किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। ज्येष्ठता निर्धारण का वेतन विसंगति से कोई सम्बन्ध नही है। इस प्रकार डा0 कल्याण सिंह की आपत्ति बलहीन है।

आपत्ति संख्या-02

श्री रवीन्द्र कुमार, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि उक्त ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-12 पर श्री अरविन्द कुमार, जिनकी प्रोन्नति पर्यटक अधिकारी से क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर वर्ष 2017 में हुयी है, जबकि उनकी पर्यटक अधिकारी से क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2012 में पदोन्नति हुयी है। इस कारण वे श्री अरविन्द कुमार से 05 वर्ष वरिष्ठ हैं। श्री रवीन्द्र कुमार द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण कराने का अनुरोध किया गया।

निराकरण

पर्यटन विभाग के आदेश सं0-62/2017/2811/41-2017-121सा0/2016, दिनांक 04.12.2017 द्वारा श्री अरविन्द कुमार, पर्यटक अधिकारी की क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गयी थी।

इसी प्रकार पर्यटन अनुभाग के विज्ञप्ति सं0-1932/41-2012-2सा0/2016, दिनांक 09.10.2012 द्वारा श्री रविन्द्र कुमार, पर्यटक अधिकारी की क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गयी।

पर्यटन निदेशालय के आदेश सं0-7484/1-7-2/कार्मिक/2014, दिनांक 20.11.2014 द्वारा पर्यटन विभाग में कार्यरत पर्यटक अधिकारी संवर्ग के पदधारकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी है, जिसके क्रमांक-4 पर श्री अरविन्द कुमार तथा क्रमांक-5 पर श्री रविन्द्र कुमार का नाम अंकित है। यद्यपि श्री अरविन्द कुमार की क्षेत्रीय पर्यटकअधिकारी के पद पर पदोन्नति दिनांक 04.12.2017 को की गयी तथा श्री रविन्द्र कुमार की क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिनांक 09.10.2012 को की गयी तथापि पर्यटक अधिकारी संवर्ग क पदधारकों की अन्तिम जेष्ठता सूची के क्रमांक-4 पर अंकित श्री अरविन्द कुमार ज्येष्ठता क्रमांक-5 पर अंकित श्री रविन्द्र कुमार से ऊपर हैं।इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि श्री अरविन्द कुमार श्री रविन्द्र कुमार से ज्येष्ठता सूची में ऊपर है, जो कि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथा संशोधित) के नियमों के अनुरूप है। इस प्रकार श्री रवीन्द्र कुमार की आपत्ति बलहीन है।

आपत्ति संख्या-03

श्रीमती कीर्ति, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, झांसी द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि उक्त जयेष्ठता सूची के क्रमांक-12 पर अरविन्द कुमार, जिनका क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी पद पर प्रोन्नति वर्ष 2017 है, जबकि उनकी (श्रीमती कीर्ति) नियुक्ति वर्ष 2013 सीधी भर्ती के माध्यम से है, को कनिष्ठ दर्शाया गया है। श्रीमती कीर्ति द्वारा आपत्ति का निराकरण कराने का अनुरोध किया गया।

निराकरण

पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के विज्ञप्ति /नियुक्ति पत्र सं0-1218/41-2013-332सा0/12, दिनांक 28.05.2013 द्वारा श्रीमती कीर्ति को क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर तैनात किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 29.05.2013 को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया।

चूंकि श्री रविन्द्र कुमार की वर्ष 2012 में क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हुयी तथा वर्ष 2014 में निदेशालय से पर्यटक अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी, जिसमें श्री अरविन्द कुमार को श्री रविन्द्र कुमार से ऊपर रख गया है। इस मध्य श्रीमती कीर्ति को सीधी भर्ती के माध्यम से दिनांक 28.05.2013 को क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर तैनात किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

कालांतर में पर्यटन अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2016/1323/41-15-95 सा0/15, दिनांक 03.02.2016 को शासन स्तर से क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी जिसमें श्री अरविन्द कुमार का नाम अंकित हैं, क्योंकि तत्समय तक श्री अरविन्द कुमार की क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर पदोन्नति नही हुयी थी। श्री अरविन्द कुमार, पर्यटक अधिकारी की क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिनांक 04.12.2017 को की गयी। चूंकि पर्यटक् अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची में श्री अरविन्द कुमार श्री रविन्द्र कुमार से ऊपर हैं तथा वर्ष 2017 में पदोन्नति होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में निहित व्यवस्था के तहत श्री अरविन्द कुमार अपनी मौलिक ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे, जो कि श्री रविन्द्र कुमार से ऊपर हैं। इस प्रकार श्रीमती कीर्तिकी आपत्ति बलहीन है।

3- उपर्युक्त समग्र परिस्थितियों के दृष्टिगत कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में नियम-8 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पर्यटन विभाग के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक पदधारकोंकी पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अन्तिम रूप से एतद्द्वारा संलग्न की जाती है।

संलग्नक-अन्तिम ज्येष्ठता सूची (क्रमांक-01 से 18)

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. उप निदेशक, पर्यटन (अधि0) पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यालय–ज्ञाप सं0-334/2022/आई/118414/41-1001/45/2019, दिनांक 15 जून, 2022 का संलग्नक

क्र0	कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	बैच	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर मौलिक नियुक्ति/योगदान की तिथि	भर्ती का स्रोत	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अविनाश चन्द्र मिश्र	01.03.1964		28.07.1993	सीधी भर्ती	सामान्य	संयुक्त निदेशक के पद पर प्रोन्नति
2	सुश्री प्रीती श्रीवास्तव	10.08.1967		27.07.1993	सीधी भर्ती	सामान्य	उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति
3	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	28.10.1961		22.09.1994	प्रोन्नति	सामान्य	सेवानिवृत्त (30.10.2021)
4	श्री अमित	15.11.1965		26.10.1994	सीधी भर्ती	सामान्य	उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति
5	श्री बिमलेश कुमार औदिच्य	01.01.1964		04.06.1999	प्रोन्नति	सामान्य	तदैव
6	श्री बीरेश कुमार	01.12.1966		04.06.1999	प्रोन्नति	अनुसूचित जाति	तदैव
7	श्री दिनेश कुमार	15.01.1974		28.12.2002	सीधी भर्ती	अन्य पिछडा वर्ग	तदैव
8	श्री राजेन्द्र कुमार रावत	30.12.1971		28.12.2002	सीधी भर्ती	अनुसूचित जाति	तदैव
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद	01.04.1967		15.11.2010	प्रोन्नति	अन्य पिछडा वर्ग	तदैव
10	श्री कल्याण सिंह	01.08.1968		10.10.2012	प्रोन्नति	अन्य पिछडा वर्ग	तदैव
11	श्री ब्रजपाल	04.11.1966		15.11.2010	प्रोन्नति	अनुसूचित जाति	-
12	श्री अरविन्द कुमार	30.06.1966		06.12.2017	प्रोन्नति	सामान्य	-
13	श्री रवीन्द्र कुमार	10.08.1966		10.10.2012	प्रोन्नति	सामान्य	-
14	श्रीमती कीर्ति	04.09.1988	2013 बैच	29.05.2013	सीधी भर्ती	अन्य पिछडा वर्ग	-
15	श्रीमती अंजू चौधरी	03.06.1983	2013 बैच	29.05.2013	सीधी भर्ती	सामान्य	-
16	श्री अनुपम श्रीवास्तव	19.06.1974		02.12.2017	प्रोन्नति	सामान्य	-
17	श्रीमती दीपिका सिंह	15.11.1983	2020 बैच	08.06.2020	सीधी भर्ती	सामान्य	-
18	सुश्री अपरजिता सिंह	02.07.1996	2020 बैच	09.06.2020	सीधी भर्ती	अन्य पिछडा वर्ग	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।